निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आषाढ़ 1944 (श0)
(सं0 पटना 509) पटना, शुक्रवार, 15 जुलाई 2022

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
15 जुलाई 2022

अधिसूचना संख्या 05/2022-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 108, दिनांक 15 जुलाई 2022— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम – 12, 2017) की धारा 9 की उपधारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद द्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 556, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में ,सारणी में-,

(1) क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (2) में-

(क) शब्द, अंक और प्रतीक "जिसने 6 प्रतिशत की दर से राज्य कर का भुगतान नहीं किया है "को निरसित किया जाएगा;

(ख) परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"बशर्ते और भी कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी, जहां,-

i. आपूर्तिकर्ता ने बीजीएसटी अधिनियम 2017 ,के अंतर्गत पंजीकरण कराया हो और फॉरवर्ड चार्ज के तहत अपने द्वारा आपूर्त किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग किया हो ,और

ii. आपूर्तिकर्ता ने प्राप्तकर्ता को लागू दरों पर राज्य कर लगा कर इनवॉयस जारी किया हो, और अपने द्वारा जारी ऐसे इनवॉयस के बारे में अनुबंध III मे यथानिर्धारित घोषणा की हो।;"

(2) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (2) में, उपवाक्य (2), मद (i) को शब्द और प्रतीक "(i) डाक विभाग द्वारा उपलब्ध कराइ जाने वाली सेवाएं" से प्रति स्थापित किया जायेगा।

(3) क्रमांक 5क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और ,प्रविष्टियां को अंत:स्थापित किया जाएगा ,यथा-:

(1)	(2)	(3)	(4)
"5कक	किसी पंजीकृत व्यक्ति को आवासीय भवनों को किराए पर देने के माध्यम से दी गई सेवा।	कोई भी व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति।;"

(4) अनुलग्नक II के बाद निम्नलिखित अनुलग्नक को अन्त:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"अनलग्नक III

घोषणा

मैंने/हमने बीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण करा लिया है और फॉरवर्ड चार्ज के तहत वितीय वर्ष______ के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है।."

II. 18 यह अधिसूचना जुलाई 2022 ,से लागू होगी।

[(सं०सं०–बिक्री–कर / जीएसटी / विविध–21 / 2017(खंड–14) 05)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

15 जुलाई 2022

एस० ओ० 108, दिनांक 15 जुलाई 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०–बिक्री–कर / जीएसटी / विविध–21 / 2017(खंड–14) 05)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 15th July 2022

Notification No. 05/2022– State Tax (Rate)

S.O.108, Dated 15th July 2022— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 13/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 556, dated the 29th June, 2017 namely:-

In the said notification, in the Table, -

(1) against serial number 1,in column (2), -

(a) the words, figures and symbols "who has not paid state tax at the rate of 6%," shall be omitted;

(b) after the proviso the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided further that nothing contained in this entry shall apply where, -

i. the supplier has taken registration under the BGST Act, 2017 and exercised the option to pay tax on the services of GTA in relation to transport of goods supplied by him under forward charge; and

ii. the supplier has issued a tax invoice to the recipient charging State Tax at the applicable rates and has made a declaration as prescribed in Annexure III on such invoice issued by him.";

(2) against serial number 5, in column (2), in the sub-clause (2), in item (i), the words "by way of speed post,express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than Central Government, State Government or Union territory or local authority"shall be omitted;

(3) after serial number 5Aand the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"5AA	Service by way of renting of residential dwelling to a registered person.	Any person	Any registered person.";

(4) after Annexure II, the following annexure shall be inserted, namely: -

"**<u>Annexure III</u>**

Declaration

I/we have taken registration under the BGST Act, 2017 and have exercised the option to pay tax on services of GTA in relation to transport of goods supplied by us during the Financial Year _____ under forward charge.".

II.This notification shall come into force with effect from the 18th July,2022.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-14) 05)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 509-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <u>http://egazette.bih.nic.in</u>